LALITPUR POLICE

प्रेस नोट

दिनांक- 30.06.2025

कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा LUCC नामक चिटफंड कम्पनी बनाकर, षड़यन्त्र-पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 25-25 हजार के ईनामियां 02 नफर वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के निर्देश के क्रम में, श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक के निर्देशन व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री कालू सिंह एंव क्षेत्राधिकारी सदर श्री अजय कुमार के निकट पर्यवेक्षण में कोतवाली ललितपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 612/24 धारा 111/318/62(2)/351(3)/352 बीएनएस 2023 एवं 3/21 BUDS Act 2019, मु0अ0सं0 647/24 धारा 111/318/336(3)/340(2)/62(2)/351(3)/352 बीएनएस 2023 एवं 3/21 BUDS Act 2019, मु0अ0सं0 686/24 धारा 111/318/336(3)/340(2)/62(2) बीएनएस 2023 एवं 3/21 BUDS Act 2019, मु0अ0सं0 1086/24 धारा 111/318/336(3)/338/340(2)/62(2)/351(3)/352 बीएनएस 2023 एवं 3/21 BUDS Act 2019, मु0अ0सं0 270/25 धारा 111/318(4)/336(3)/340(2)/62(2)/351(3)/352 बीएनएस 2023 एवं 3/21 BUDS Act 2019 के अभियोग में वाँछित अभियुक्तगण- 01. अनुराग वंशल पुत्र महावीर प्रसाद वंशल, 02. आरती वंशल पत्नि अनुराग वंशल निवासीगण 399/07 धुरीताल पश्चिम थाना वैढ़न जिला सिंगरौली म0प्र0, हाल पता 77 शिव वाटिंक थाना लहसुडिया जिला इन्दौर म0प्र0 को नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- थाना कोतवाली पर शिकायतकर्ताओं द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक लाभ के लिये LUCC नाम की एक चिटफंड कम्पनी के माध्यम से धोखाधड़ी कर षड्यन्त्र पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार करते हुये विभिन्न व्यक्तियों के रुपये लेकर हड़प लेना एवं प्रार्थीगणों द्वारा अपना रुपया वापस मांगने पर टाल-मटोल करते हुये गाली-गलौच करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी।

सूचना के आधार पर कोतवाली ललितपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे। उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता व व्यापकता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक , ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही व वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन हेतु टीमें गठित की गयीं थी तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 25-25 हजार रूपये के इनाम घोषित किये गये थे। गठित टीमों द्वारा सर्विलांस (मैनुअली/टैक्नीकल), वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन व अन्य एकत्रित साक्ष्यों की मदद से अभियुक्तगण अनुराग वंशल व आरती वंशल उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है।

पूछतांछ का विवरण- अभियुक्तगण अनुराग वंशल व आरती वंशल उपरोक्त ने नियमानुसार पूछने पर बताया कि साहब हम लोगों का एक संगठित गिरोह है जिसमें हम लोग LUCC कम्पनी में निवेश करने के लिये लोगों को

लालच व प्रलोभन भरी स्कीमें , पम्पलेंट, सेमीनार के माध्यम से गुमराह करके उनका रूपये डबल होने की बात बताकर लोगो से रूपये का इनवेस्टमेंट करवाते थे। हम लोग जनपद सिंगरौली म0प्र0 के रहने वाले हैं। हम दोनों पति-पत्नी वर्ष 2006 में जनपद झांसी में रहने आए थे। वर्ष 2009 में मेरी पत्नी ने एडवान्टेज कम्पनी ज्वाइन की थी। मेरी पत्नी एडवान्टेज कम्पनी के बाद आप्सन वन कम्पनी में काम कर रही थी, जिसमें उसे काफी पैसा मिलता था, लालच में आकर मैं भी वर्ष 2014 में आप्सन वन कम्पनी से जुड़ गया। फिर बाद में हम दोनों लोग LUCC कम्पनी में जुड गये और हम लोगो ने मिलकर उ0प्र0 के कई जनपदों सिंगरौली, सोनभद्र, वाराणसी, मिर्जापुर आदि के सीधे-सादे लोगों को लुभावनी व प्रलोभन वाली स्कीमें बतायी तथा जनमानस में प्रचार-प्रसार कर लोगों का काफी पैसा जमा कराया। इसके बाद LJCC/LUCC सोसाइटी में मुझे मध्य प्रदेश क्षेत्र का चेयरमैन बनाया गया था। हमने अधिक से अधिक धन का निवेश कराने के लिये लोगों को अधिक लाभ मिलने का लालच देकर प्रोत्साहित करते हुए लोगो का करोड़ों रूपये का निवेश कराया था, जिसमें हम लोगो को काफी लाभ प्राप्त प्राप्त हुआ था। हमने उन रुपयों को अपने ऐशो-आराम, जमीनें व गाडियां खरीदने में खर्च किया। साहब हमसे गलती हो गयी मांफ कर दीजिये।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-</u>

1.अनुराग वंशल पुत्र महावीर प्रसाद वंशल उम्र करीब 58 वर्ष,

2.आरती वंशल पत्नि अनुराग वंशल उम्र करीब 56 वर्ष निवासीगण 399/07 धुरीताल पश्चिम थाना वैढ़न जिला सिंगरौली म0प्र0, हाल पता 77 शिव वाटिंक थाना लहसुडिया जिला इन्दौर म0प्र0।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक</u> – 29.06.2025

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम</u> –

1. निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली ललितपुर।
2. निरीक्षक श्री अरविन्द्र कुमार थाना कोतवाली ललितपुर।
3. म0हे0कां0 सुनीता यादव थाना कोतवाली ललितपुर।
4. म0कां0 सुमिरन थाना कोतवाली ललितपुर।